| दिनाक 16.10.2020 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति–16/20 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जाने वाले विशेष अभियान ''मिशन शक्ति'' के सम्बन्ध में दिये दिशा निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम और इनकी विवेचना में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यालय स्तर से समय समय पर निर्देश निर्गत किये गये है । पुलिस महानिदेशक द्वारा महिलाओं/बच्चियों के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न के रोकथाम हेतु दिनॉक 17.10.2020 से अगले 06 माह तक एक समग्र अभियान ''मिशन शक्ति'' चलाया गया है, जिसका प्रथम चरण दिनॉक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक की अवधि में विशेष रूप से चलाये जाने के निर्देश दिये गये है।

पुलिस महानिदेशक द्वारा उक्त के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न निर्देश दिये गये –:

सार्वजनिक स्थलों जैसे–चौराहों, बाजारों, मॉल्स, कालेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं छात्राओं के साथ राह चलते छेंड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियों इत्यादि की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से निम्न कार्यवाहियॉ किया जाना आवश्यक हैः–

- यह सामाजिक अपराध है, जिसमें जनमानस में सामाजिक उत्तरदायित्व को जागृत करना।
- अभियान के सम्बन्ध में पुलिसजन के माध्यम से गांव समाज को भी सक्रिय किया जाये।
- उपद्रवी एवं दिग्भ्रमित युवाओं को चिन्हित कर समाज में उन्मुख करना।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्षीण करना।

- जनपद में मिशन शक्ति के सफल क्रियान्वयन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद में नियुक्त वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेंगें।
- महिला सम्बन्धी अपराधों (हत्या, बलात्कार, शीलभंग, छेंड़खानी, पॉक्सो एक्ट) में प्रकाश में आये अभियुक्तों तथा जेल से बाहर आये अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाये।
- Crime Mapping के जरिये Vulnerable Spots को चिन्हित कर जैसे बाजार, बालिका विद्यालयों के आस-पास गॉव के मध्य चौराहे इत्यादि पर जनपदीय पुलिस द्वारा अवांछनीय तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाये।
- इस प्रकार के अपराधों मे संलिप्त अराजक तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- प्रदेश के सभी थानों पर कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों को इस सम्बन्ध में और सशक्त करते हुए मिशन शक्ति अभियान पर कार्य करने के लिये ब्रीफ किया जाये।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अभियुक्त के जमानतदार को भी इस अभियान में काउन्सिलिंग कर उन्हें भी उत्तरदायी बनाया जाये।
- इस अभियान मे पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों मे अभियुक्तों को शीघ्र सजा कराने हेतु और प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा विवेचनाओं को अल्पतम अवधि में पूर्ण कराया जाये ।
- बीट प्रभारी, थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी के ग्राम भ्रमण के दौरान ऐसे अभियुक्तों अथवा उपद्रवी तत्वों को बुलाकर उनकी काउन्सिलिंग करते हुए इस प्रकार के अपराध न करने की सख्त हिदायत दी जाये।
- मिशन शक्ति के जनपदीय नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रसारित किये जाये ताकि इस प्रकार के अपराध मे संलिप्त तत्वों का शीघ्रता से पता लगाया जा सके।
- सभी अभियुक्तों तथा चिन्हित किये गये व्यक्ति की अद्यावधिक सूचना नाम, मोबाइल नम्बर, जमानतदार के साथ क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पर रखी जाये।
- जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वे प्रत्येक बीट कान्स्टेबल की बीट सूचना रजिस्टर को अद्यावधिक है अथवा नही का निरीक्षण कराते हुए पूर्ण करायें।
- थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्थित बालिका विद्यालयों/कालेजों के प्रधानाचार्य व अध्यापकों के सम्पर्क में रहेंगे। इस हेतु समय-समय पर उनके साथ गोष्ठी कर समन्वय स्थापित करते हुये उनसे शोहदों/मनचलों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।
- जनपद के सभी थानों मे **गठित एण्टी रोमियो स्क्वायड** में नियुक्त महिला पुलिस कर्मी सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा-स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आस-पास तथा मॉल्स, बाजार व ऐसे स्थान जहॉ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता हो, को भौतिक रूप

- से चिन्हित कर लें, जहॉ शोहदों/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतें की जाती है। ऐसे स्थानों की सतत निगरानी करते हुए ऐसे तत्वों के विरूद्ध कड़ी एवं अनवरत विधिक कार्यवाही की जाये।
- शहर के बाहरी छोर (Outskirts) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से दूर स्थित बालिकाओं के विद्यालयों/कोचिंग संस्थानों को एण्टी रोमियो स्क्वायड के कार्यक्षेत्र में अवश्य रखा जाये। थाना स्तर पर ऐसे स्थलों का जहां असामाजिक तत्वों का स्थान/समय विशेष में आवागमन होता है, का एक रजिस्टर भी बना लिया जाये एवं समय–समय पर इसे अद्यतन किया जाये।
- प्रत्येक महिला महाविद्यालय/बालिका विद्यालय में एक शिकायत पेटिका लगवायी जाये तथा महिला विद्यार्थियों के मध्य प्रचारित–प्रसारित कराया जाये कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें अथवा अन्य महिलाओं को अमुक रास्ते अथवा जगह पर परेशान करता है तो इस सम्बन्ध में वे अपनी शिकायत, शिकायत–पेटिका में डाल सकती है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम डालना अनिवार्य नहीं होगा। इस शिकायत पेटिका को सप्ताह में 1–2 बार थानों की महिला आरक्षी के द्वारा खोला जाये और प्राप्त शिकायतों को थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये, जिस पर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये तथा इसका अभिलेखीकरण भी किया जाये।
- जो लोग इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त पाये जाये, उन्हें कड़ी हिदायत देते हुये प्राथमिक रूप से counselling द्वारा उनकी सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।
- सुधारात्मक उपाय विफल होने पर अथवा अपराध की गम्भीरता व गुरुता के दृष्टिगत सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ठोस विधिक कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाये।
- यदि कोई व्यक्ति/युवक किसी महिला/युवती को कोई अश्लील शब्द कहता है अथवा छेंड़खानी करता है है अथवा पीछा करता है या घूरकर देखता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक प्रविधानों के तहत कार्यवाही की जाये।
- प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड अभियान के दौरान बालिकाओं/महिलाओं से छेड़खानी करने वाले व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दें। इस दौरान उनकी वीडियोग्राफी अवश्य की जाये। उनके अभिभावकों को भी विश्वास में लेकर उनके कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में अवगत कराया जाय।
- एण्टी रोमियो स्क्वायड को Body worn camera भी उपलब्ध कराया जाये। जब इस प्रकार की गतिविधि करने वाले मनचलों को पकड़ा जाये तो उनकी फोटो ले ली जाये तथा फोटो गैलरी में एक एलबम बनाकर उसे सुरक्षित रख लिया जाये ।
- यदि किसी युवक द्वारा किसी बालिका/महिला के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक हरकत की जाती है। मोबाइल से या कैमरे से कोई फोटोग्राफ लेने का प्रयास किया जाता है अथवा कोई इशारा या अशोभनीय टिप्पणी किया जाता है अथवा



बिना किसी कार्य या औचित्य के स्कूल, कालेज कोचिंग संस्थान आदि के समीप मौजूद रहता है तो दिये गये निर्देशों के अनुरूप विधिक कार्यवाही की जायें ।

- प्रत्येक थाने पर इस सम्बन्ध में एक रजिस्टर तैयार किया जाये, जिसमें चिन्हित स्थानों का विवरण, एण्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण यथा–पकड़े गये मनचलों के नाम पता, मो0 नम्बर उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही जैसे–चेतावनी देना, अभिभावकों को बुलाकर उनके कार्य व आचरण के सम्बन्ध में अवगत कराना व वैधानिक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया जाये।
- सार्वजनिक स्थानों पर जहॉ पर शराब पीने की शिकायत प्राप्त होती है ऐसे स्थानों पर अभियान के दौरान सर्तक दृष्टि रखते हुये विधिक कार्यवाही की जाये।
- प्रतिदिन अभियान में निकलने से पूर्व एण्टी रोमियो स्क्वायड में नियुक्त पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिवत ब्रीफिंग व मार्ग–दर्शन किया जाय।
- सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा यथासम्भव अपने क्षेत्र के सम्भ्रान्त/पुलिस मित्र व्यक्तियों से सम्पर्क में रहते ऐसे स्थलों एवं व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा एण्टी रोमियो स्क्वायड के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा इसका सत्त अनुश्रवण किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर गठित महिला सहायता प्रकोष्ठ में एक सीयूजी नम्बर रखा जाये, जिसे महिला सम्बन्धी अपराधों के दृष्टिगत हेल्पलाइन की तरह इस्तेमाल किया जाये तथा इस नम्बर का अपेक्षित माध्यमों से समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये।
- प्रत्येक थाने में **''महिला हेल्प डेस्क''** स्थापित किया जाना एक सुन्दर पहल है और इसे राज्य के समस्त 1535 थानों में स्थापित किये जाने की कार्यवाही तत्काल करते हुए प्रत्येक थाने पर **''मिशन शक्ति''** को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु एण्टी रोमियो स्क्वायड का सक्रियता से प्रयोग किया जाये।

अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि किसी व्यक्ति को असुविधा न होने पाये और न ही किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाये।

**साइबर क्राइम उ0प्र0पु0–AADHAR ENABLE PAYMENT SYSTEM (AEPS) के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सो से आमजन के खातो से करोडो रूपये की ठगी करने वाले साइबर गिरोह के मास्टर माइण्ड रोहित त्यागी मय एक कार आदि सहित गिरफ्तार, प्रिन्टर , आधार कार्ड , पैन कार्ड , डेबिट कार्ड, बुक-पास , चैक बुक , ।**

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक ,साइबर क्राइम0प्र0उ ,लखनऊ , एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षकसाइबर क्राइम , 0प्र0उ,लखनऊ के द्वारा साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में साइबर क्राइम थाना सेक्टर गौतमबुद्धनगर पर , नोएडा ,36-AEPS के माध्यम से लोगो के बैंक खातों से बिना उनकी जानकारी के पैसे निकालनें सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही थी । जिनके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम 2020/07 0सं0अ0नोएडा पर मु 36 सेक्टर , 34/बी120/471/468/467/420/419 धाराभा66/सी66/66 व 0वि0द0डीएक्ट पंजीकृत कराया गया एवं 0टी0आई 0 नोएडा को निर्देशित क 36 अनावरण हेतु थाना साइबर क्राइम सेक्टरिया गया। श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक ,साइबर क्राइम0प्र0उ ,लखनऊ , के निर्देशन में दिनांक को 16.10.2020AEPS (Aadhar Enabled Payments System) के माध्यम से आमजन के खातों से बिना उनकी जानकारी के उनके फिंगर प्रिन्ट्स का डाटा चोरी कर फर्जी फिंगर प्रिन्ट्स तैयार कर पैसा निकालने वाला मास्टरमाइण्ड गिरफ्तार किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. रोहित त्यागी पुत्र ईश्वर चन्द्र त्यागी निवासी , क्रोसिंग रिपब्लिक ,यूका टॉवर पैरामाउन्ट सोसाइटी 1001 -0फ्लैट न - 33 -उम्र ,गाजियाबादवर्ष 0ए0सी0बी -शिक्षा ,

**बरामदगी का विवरण:-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **पास बुक व चैक बुक-** | **-** | **63** |
| **2.** | **पैन कार्ड** | **-** | **20** |
| **3.** | **आधार कार्ड** | **-** | **12** |
| **4.** | **डेबिट कार्ड** | **-** | **17** |
| **5.** | **बायो मैट्रिक मशीन** | **-** | **03** |
| **6.** | **रबर थम्ब इम्प्रैशन प्रिन्टर** | **-** | **01** |
| **7.** | **पी मशीन 0एस0ओ0** | **-** | **01** |
| **8.** | **मॉडम** | **-** | **01** |
| **9.** | **ओरिसिविंग मशीन 0पी0टी0** | **-** | **01** |
| **10.** | **डोंगल रिलायंस जीयो** | **-** | **01** |
| **11.** | **मोबाईल फोन** | **-** | **07** |
| **12.** | **प्रिन्टर** | **-** | **01** |
| **13.** | **लैपटॉप** | **-** | **02** |
| **14.** | **फर्जी फिंगर रपब प्रिन्ट** | **-** | **102** |
| **15.** | **कार** | **-** | **01** |

**अभियुक्तगण का फोटोग्राफ:-**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. निरीक्षक रीता यादव
2. उगजेन्द्र सिंह 0नि0
3. उभगवान सिंह 0नि0
4. आरक्षी सुमित पायला
5. आरक्षी आकाश मलिक
6. आरक्षी रवि कुमार
7. आरक्षी नितिन कुमार
8. आरक्षी कमल कुमार
9. आरक्षी मंजीत सिंह
10. आरक्षी धर्मदास तोमर

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वर्ष में उसकी नौकरी छूट जाने के कारण वह नौकरी की तलाश में 2019 वहाँ भटक रहा था। तब उसे-यहाँAEPS )Aadhar Enabled Payment Service) के बारे में जानकारी प्राप्त हुयी फिर उसनें इसके बारे में अधिक जानकारी हेतु गुगल पर सर्च किया कि यह काम किस तरह से शुरू किया जा सकता है। इसके बाद उसने थम्ब इम्प्रैशन मशीनमशीन आदि जोकि ऑन ला 0एस0ओ0पी ,रबर थम्ब फिंगर प्रिन्टर ,इन शॉपिंग वैबसाइट्स से खरीदकर लोगो के खातों से धन निकालने के लिये उनके खातों में रजिस्टर्ड आधार कार्ड के फिंगर प्रिन्ट्स की आवश्यकता होती थी, जिसके लिये उसनें रजिस्ट्री ऑफिस से फॉर्म भरकर किसी की भी रजिस्ट्री की कॉपी प्राप्त कर उन पर लगे फिंगर प्रिन्ट की फोटो को अपने लैपटॉप में लेकर रबर पर फिंगर प्रिन्ट्स तैयार कर AEPS के माध्यम से लोगो के खातों से पैसा सीधे क्रिप्टो करेन्सी में बदलकर फिर अपने पर्सनल बैंक खातों में ट्रान्सफर कर लिया करता थाजिससे कोई इसे पकड ना , सके। इसी तरह अब तक करोडो रूपयों की ठगी कर चुका है।उपरोक्त अभियुक्त को सम्बन्धित मुमें 0सं0अ0 गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

## जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार लगभग 25 लाख रूपये कीमत की स्मैक व 6 लाख 640 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 15.10.2020 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा नैनीताल रोड़ स्थित ग्राम नगरिया कलां तिराहा के पास से दो अभियुक्त 1–मोहम्मद यूनिस 2–नफीसा पत्नी यूनिस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 250 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रूपये व 6 लाख 640 रूपये नगद आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना इज्जतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मोहम्मद यूनिस निवासी नगरिया कलां थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

2–नफीसा पत्नी यूनिस निवासी नगरिया कलां थाना इज्जतनगर जनपद बरेली। **बरामदगीः–**

1–250 ग्राम अवैध स्मैक ।

2–60,0640 रूपये नगद आदि।

## जनपद बरेली/थाना नवाबगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15.10.2020 की रात्रि थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम टाडा सादात चकमार्ग के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी इरफान उर्फ इमरान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के

प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नबाबगंज का टाप टेन सक्रिय शातिर अपराधी है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—इरफान उर्फ इमरान निवासी टाडा थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

**बरामदगी**

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

## जनपद शाहजहॉपुर/थाना कलान

**• 01 शराब तस्कर गिरफ्तार,**

**• लगभग 50 लाख रूपये कीमत की 550 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, व 01 कनटेनर आदि बरामद।**

दिनांक 15.10.2020 की रात्रि थाना कलान की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बदायूं रोड़ पर बाराकलॉ के पास से शराब तस्कर चेतनराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक एसी कटेनर में लोड 550 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कीमत लगभग 50 लाख रूपये , 07 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना कलान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—चेतनराम निवासी जाखड़ो की ढाणी भीमथल थाना धोरिमाना जिला बाडमेर, राजस्थान।

**बरामदगी**

1—550 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब,

2—01 एसी कनटेनर, 07 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल मय वाईफाई डोंगल।



## जनपद एटा/थाना मारहरा व निधौलीकलां

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर , 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 16.10.2020 को थाना मारहरा व निधौलीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मरगाया तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रविन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना पिलुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–237/19 धारा 2/3 यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना निधौलीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

रविन्द्र निवासी ग्राम रफतनगर सैंथरा थाना निधौलीकलां, जनपद एटा।

**बरामदगी**

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

**जनपद सीतापुर/थाना बिसवॉ (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 19 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाली अभियुक्ता शाहजहॉ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 19 लाख 50 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **चुनाव आयोग उ0प्र0 द्वारा दिनॉक 03.11.2020 को प्रस्तावित 07 विधानसभाओं के उपचुनाव के दृष्टिगत प्राप्त केन्द्रीय पुलिस बलः–**

**सीएपीएफ की – 7 कम्पनी**

1–सीआरपीएफ– 6

2–सीआईएसएफ– 1

**सीएपी– 14 कम्पनी**

1–महाराष्ट्र – 3

2–हरियाणा– 8

3–चड़ीगढ़– 3